



☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622

फेक्स : 07582 - 222070, 224543

E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 191/स्टेनो/2020

सागर, दिनांक 13-05-2020

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 114/स्टेनो/2020 दिनांक 10-04-2020 से सागर नगर में बजरिया चौराहा, पुलिस चौकी के पास, कृष्णगंज वार्ड, वार्ड क्रमांक-8 सागर में कोविड-19 संक्रमित पॉजीटिव केस पाये जाने से उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर द्वारा अपने प्रतिवेदन क्रमांक कोविड-19/2020/2652 दिनांक 12-05-2020 से अवगत कराया है कि उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हिस्ट्री में अंतिम कोविड-19 पॉजीटिव को दिनांक 19-04-2020 को टी0बी0 अस्पताल में आईसोलेट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 23-04-2020 को पॉजीटिव प्राप्त हुई थी । शासन के गाईडलाइन के अनुसार अंतिम केस निकलने के तीन सप्ताह बाद कभी भी कंटेनमेंट प्लान एवं इसकी अन्य गतिविधियों को बंद किया जाकर कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकता है ।

अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये सागर नगर में बजरिया चौराहा, पुलिस चौकी के पास, कृष्णगंज वार्ड, वार्ड क्रमांक-8 सागर में घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन समाप्त किया जाता है ।

(कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित)

Addl. Distt. Magistrate
अपर कलेक्टर एवं
Distt. जिला दण्डाधिकारी
जिला सागर (म0प्र0)

सागर, दिनांक 13-05-2020

पृ0 क्रमांक 191/स्टेनो/2020
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला सागर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सर्व संबंधितजिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. स्टेनो टू-कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
12. उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशनार्थ ।

Addl. Distt. Magistrate
अपर कलेक्टर एवं
Distt. जिला दण्डाधिकारी
जिला सागर (म0प्र0)